रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012024-251446 CG-DL-E-18012024-251446

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] No. 40]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 18, 2024/पौष 28, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 18, 2024/PAUSHA 28, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 46(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 44 की उपधारा (4) के साथ पिठत धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वन्य जीव (संरक्षण) अनुज्ञापन (विचारार्थ अतिरिक्त विषय) नियम, 1983 को अधिक्रांत करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) वन्य जीव (संरक्षण) अनुज्ञापन (विचारार्थ अतिरिक्त विषय) नियम, 2024 है।
 - (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु विचार-विमर्श करने के लिए अतिरिक्त विषय.— वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 44 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति प्रदान करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, मुख्य वन्य जीव वार्डन या प्राधिकृत अधिकारी, इस धारा की उपधारा (4) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य विषयों को ध्यान रखेंगे, अर्थातु :--
 - (i) ऐसे कारबार के लिए सुविधाएं, उपस्कर और परिसरों की उपयुक्तता के संबंध में संबद्ध कारबार को संचालित करने की आवेदक की क्षमता ;
 - (ii) वह स्रोत और रीति, जिसमें संबद्ध कारबार के लिए पूर्ति प्राप्त की जाएगी ;
 - (iii) संबद्ध क्षेत्र में पहले से विद्यमान सुसंगत कारोबारों के लिए अनुज्ञप्ति की संख्या ;

411 GI/2024 (1)

(iv) विवक्षाएं, जो ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए संबद्ध वन्य पशुओं के शिकार या व्यापार पर होगी :

परन्तु कोई ऐसी अनुज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार के पूर्व परामर्श के सिवाय प्रदान नहीं की जाएगी, यदि वह अधिनियम की अनुसुची 1 में विनिर्दिष्ट किसी वन्य पशु से संबंधित है ।

[फा. सं. डब्ल्युएल-1/27/2023-डब्ल्युएल]

बिभाष रंजन, अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव) और निदेशक, वन्य जीवन संरक्षण

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2024

G.S.R. 46(E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (1) of section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), read with clause (b) of sub-section (4) of section 44 and on supersession of the Wild Life (Protection) Licensing (Additional Matters for Consideration) Rules, 1983, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- 1. **Short title and commencement**. (1) These rules may be called the Wild Life (Protection) Licencing (Additional Matters for Consideration) Rules, 2024'.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Additional matters for consideration for grant of licence.- For the purpose of granting a licence referred to in sub-section (1) of section 44 of the Wild Life (Protection) Act, 1972, the Chief Wild Life Warden or the authorised officer, as the case may be, shall in addition to the matters specified in clause (b) of sub-section (4) of that section, have regard to the following other matters, namely:-
 - (i) capacity of the applicant to handle the business concerned with reference to facilities, equipment and suitability of the premises for such business;
 - (ii) source and the manner in which the supplies for the business concerned would be obtained;
 - (iii) number of licence for the relevant business already in existence in the area concerned;
 - (iv) implications which the grant of such licence would have on the hunting or trade of wild animals concerned:

Provided that no such licence shall be granted if it relates to any wild animal specified in Schedule I to the Act, except with the previous consultation of the Central Government.

[F. No. WL-1/27/2023-WL]

BIVASH RANJAN, Addl. Director General of Forests (WL) and Director, Wild Life Preservation